# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 8186/2020 वीर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 07.09.2020 को पारित निर्णय में निम्नांकित याचिकार्थियों ने अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को प्रेषित किए है –

| क्र.सं. | नाम मय पद सर्वश्री/श्रीमती सश्री | पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|
| 01 | वीर सिंह, वरिष्ठ सहायक | राउमावि, सामरिया, भरतपुर |
| 02 | प्रेम चन्द, वरिष्ठ सहायक | राउमावि, आघपुर तहसील भरतपुर |
| 03 | चन्दन सिंह, वरिष्ठ सहायक | राउमावि, नरूली तहसील भरतपुर |
| 04 | खुशीराम, वरिष्ठ सहायक | राबामावि, अधीना तहसील भरतपुर |
| 05 | हरिराम जाटव, वरिष्ठ सहायक | राउमावि भुसवारा, भरतपुर |
| 06 | स्मिता वर्मा,कनिष्ठ सहायक | राउमावि, रेल्वे, भरतपुर |

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2020 के अनुसरण मे याचिकार्थियो द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति वर्ष 2000 की है। याचिकार्थियो को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

यह है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।

विभाग इस प्रकार के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 383/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम बालकिशन पारीक व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय मे निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार एतदनुसार दिनांक 01.10.2000 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/वीरसिंह/8186/2020 117 दिनांक – 12/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक shivira-sec/legal/B-2/29824/F/2020 Dated 12-11-2020 के क्रम में।
2. सम्बन्धित कार्मिक श्री .....
3. गार्ड पंजिका

12.1.21

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर